पत्रांक संख्या– वि(27)पे0को0–121/06(पार्ट)– 1125 वि.

बिहार सरकार
वित्त विभाग।

प्रेषक,

भानु प्रताप शर्मा,
प्रधान सचिव, वित्त विभाग।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी निदेशक/सभी अपर आरक्षी महानिदेशक/सभी जोनल आरक्षी महानिरीक्षक/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप महानिरीक्षक/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी समादेष्टा ।

पटना, दिनांक –20.11.2009

विषय : नई पेंशन योजना अंतर्गत नवनियुक्त कर्मियों के PRAN आवेदन पत्र प्राप्त करने के संबंध में।

प्रसंग: वित्त विभाग के संकल्प संख्या – 1964 दिनांक – 31.08.2005 एवं संकल्प संख्या – 2469 दिनांक – 16.11.2005

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक पत्रों के सबंध में कहना है कि वित्त विभाग द्वारा "बिहार सरकारी कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना 2005" लागू की गयी है। राज्य के सेवी वर्ग पर दिनांक यह योजना 01.09.2005 से लागू है जबकि अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों पर यह योजना दिनांक 01.01.2004 से ही लागू है। इस योजना अंतर्गत निहित प्रावधान वैसे सरकारी सेवकों के मामले में लागू होंगे जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार के अधीन दिनांक 01.09.2005 को या उसके बाद हुई हो।

नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मियों का निबंधन NSDL मुम्बई के CRA System में कराया जाना है। उल्लेखनीय है कि NSDL को ही ऐसे कर्मियों द्वारा दिये गए अंशदान तथा सरकारी अंशदान का लेखा–जोखा रखना है। चूकि नए पेंशन से आच्छादित कर्मियों के वेतनमान से अंशदान की कटौती उनकी नियुक्ति होते ही की जानी है। अतः यह आवश्यक है कि जैसे ही अब कोई कर्मी सरकारी नौकरी में नियुक्त होता है उनको निबंधन NSDL के साथ कराया जाए। निबंधन के पश्चात् NSDL ऐसे कर्मी को Permanent Retirment Account Number (PRAN) आवंटित करती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि

(i) नव नियुक्त सरकारी कर्मियों को नियुक्ति पत्र के साथ उनके निबंधन हेतु Central Recordkeeping Agency द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्र S1 Permanent

Retierment Account Number (PRAN) का आवेदन पत्र (जो Bihar Online के Website पर भी उपलब्ध है) की प्रति (पत्र के साथ संलग्न) दी जाय।

(ii) अंशदाता के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को यह निदेश दिया जाए कि वे यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि कर्मियों को योगदान के समय PRAN आवेदन पत्र अंशदाता से भरवाकर संबंधित कोषागार को उपलब्ध कराया जाए। कोषागार की जवाबदेही होगी कि वे उन आवेदन पत्रों को NSDL को उपलब्ध कराए।

(iii) नव नियुक्त कर्मियों के सेवा पुस्त एवं LPC (अंतिम वेतन प्रमाण पत्र) में भी PRAN Number अंकित की जाए। तत्संबंधी निदेश सभी नियंत्री पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/कार्यालय प्रधान को दिया जाय।

विश्वासभाजन

(भानु प्रताप शर्मा)
प्रधान सचिव, वित्त विभाग।